न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 245/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– खेराजराम पुत्र चौथाराम 2– घमाराम पुत्र चौथाराम 3– मूलाराम पुत्र चौथाराम सभी जातियान जाट निवासीगण शिव नगर, ग्राम पंचायत चन्डालिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1– भगवानाराम पुत्र मोडाराम 2– उम्मेदाराम पुत्र मोडाराम 3– लक्ष्मणराम पुत्र हरजीराम 4– पुखराज पुत्र हरजीराम 5– झीमो पुत्री दीपाराम 6– टीपू पुत्री दीपाराम 7– नारायणराम गोद पुत्र दीपाराम सभी जातियान जाट निवासीगण शिव नगर, ग्राम पंचायत चन्डालिया तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–16 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा उनके समक्ष अपील अनवान खेराजराम वगैरा बनाम भगवाना राम वगैरा प्रस्तुत करने पर रिपोर्टिंग स्तर पर पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20–12–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण की बहिस्सा बराबर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 128 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा ग्राम शिवनगर मे आई हुई थी जिसका उप सरपंच ग्राम पंचायत घेवडा द्वारा दिनांक 20–2–1972 को म्युटेशन संख्या 283 खोला गया । जिसमे से अपीलांटगण के हिस्से की भूमि जो अपीलांटगण द्वारा बिना कोई बेचान किये हुए 5/– के स्आम्प पर 99/– का बेचान बताकर अपीलांटगण का खसरा नंबर 128 मे स्थित भूमि का 1/2 हिस्सा रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा का नामांतरकरण विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पूर्व पुरूष हरजीराम ने स्वयं उप सरपंच होने का फायदा उठाकर स्वयं के नाम विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ

न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष दिनांक 20–7–2016 को अपील पेश की । उक्त अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को दर्ज किये बिना तथा अपीलांटगण को बिना सुनवाई किये अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को बिना निर्णय किये ही अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को रिपोर्टिंग स्तर पर ही मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने पर यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष दिनांक 20–7–2016 को अपील पेश की थी । अपील मे उल्लेखित तथ्यो के अलावा अपीलांटगण ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया था जिसमे विलंब को क्षमा करने बाबत संतोषप्रद कारण का उल्लेख होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के तथ्यो का अवलोकन किये बिना तथा अपीलांट को सुने बिना तथा अपील दर्ज किये बिना ही अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अपीलांटगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा रेस्पो0 के पूर्व पुरूष के पक्ष मे कोई बेचान नामा निष्पादित ही नही किया था परंतु बेचान के आधार पर पटवारी हल्का ने नामांतरकरण संख्या 283 खोला जबकि तत्समय अपीलांटगण नाबालिग थे जिनके द्वारा कोई बेचाननामा निष्पादित ही नही किया जा सकता था इसलिए बेचाननामा प्रारंभ से ही शून्य दस्तावेज होने से उसके आधार पर म्युटेशन स्वीकृत किया ही नही जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को एडमिशन स्टेज पर ही खारीज कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन बिना अपीलांटगण को सूचित किये ही ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन की समयावधि समाप्त होने के बाद उप सरपंच द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या का उल्लेख करते हुए उप सरपंच हरजीराम द्वारा स्वयं के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया, जबकि उप सरपंच स्वयं खरीददार होने से स्वयं के नाम म्युटेशन स्वीकृत करने

का कानूनी रूप से उसे अधिकार नही होते हुए भी विधि प्रकिया की घोर अवहेलना करते हुए स्वीकृत किया गया म्युटेशन निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के मेरिट को देखे बिना ही मयाद बाहर मानकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य होने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे स्आम्प की न तो तारीख अंकित है, न बेचान की कोई दिनांक अंकित है और न बेचान किसको किया गया, का विवरण अंकित है इसलिए ऐसा बेचान दस्तावेज शून्य होते हुए इन तमाम तथ्यो को देखे बिना ही अपीलांट की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–7–2016 को निरस्त करने एंव ग्राम पंचायत घेवडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–72 को निरस्त कर अपीलाधीन खसरा नंबर 128 रकबा 31 बीघा 09 बिस्वा भूमि में अपीलांटगण का 1/2 हिस्से मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर. डी 1998 पेज 319 एवं आर.आर.डी. 1994 पेज 606 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 283 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए अपीलाधीन भूमि का बेचान सहखातेदारो के बीच अनरजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर हुआ है अथार्त एक सहखातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बेचान अनरजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर किया जाने पर उक्त नामांतरकरण संख्या 283 स्वीकृत किया गया था जिसकी जानकारी अपीलांट को न हो, यह कथन मानने योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष वर्ष 1972 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2016 मे प्रस्तुत प्रथम अपील पर मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज करने का जो आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील की पत्रावली एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा उक्त अपील के प्रथम पृष्ठ की पुष्ट पर की गई कार्यालय टिप्पणी तथा उक्त टिप्पणी पर ही पीठासील अधिकारी द्वारा दिनांक 22–7–16 को अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत दिये गये आदेश आदि का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा

अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील जो कि विलंब से प्रस्तुत की जाने के कारण अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र भी पेश किया गया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपील के संबंध मे की गई कार्यालय टिप्पणी पर ही अपील को दर्ज किये बिना तथा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना कार्यालय टिप्पणी पर ही अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश दिनांक 22–7–16 को पारित किया है, वह विधिक प्रकिया के प्रतिकूल एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–7–16 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपील को विधिवत दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात अपील का नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष दिनांक 1–2–2018 को उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर